246

संख्याः /XVII-3/12-07(65)/2007

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2012

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–16/6/2012–पी0पी0(पी0पी0आर0) दिनांक 29 जून, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि रू0 1,64,00,000/– (रू0 एक करोड़ चौंसठ लाख मात्र) की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 79.00 लाख (रू0 उन्नासी लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शासन सरकार द्वारा दी गयी उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव पुनर्विनियोग के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्ध मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से **अनुदान संख्या–15 "आयोजनागत"** शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अबन्धनवद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त सुनिश्चित करें।

7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. आयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102–अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0स0) के मानक मद 21–छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन के नामे डाला जाएगा।

12. यह आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमैंट आई डी संख्या S1207150816 दिनांक 19 जुलाई, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2179 (1)/XVII-3/12-07(65)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
7. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 16/06/2012–पी0पी0 (पी0पी0आर0) दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एम0एच0 खान)
सचिव।